15

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः– 398/2022

हसन मोहम्मद खान पुत्र बसारत खां, ग्रा0पो0 चैनपुरा–लादुसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं, मो0न0 9376556372

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 09.01.2023

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 20.12.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 398/2022 पर दिनांक 21.12.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/6863–64 दिनांक 21.12.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर ने पत्रांक आरटीआई/2023/37 दिनांक 06.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी हसन मोहम्मद खान पुत्र बसारत खान निवासी चैनपुरा, पोस्ट लादूसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 09.11.2022 को प्राप्त हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र मे चाही गई वांछित सूचना का संबंध कार्यालय तहसीलदार मलसीसर से होने के कारण प्रार्थना पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक 34 दिनांक 10.11.2022 द्वारा अन्तरित कर दिया गया। कार्यालय तहसीलदार मलसीसर के पत्रांक 17 दिनांक 05.01.2023 के अनुसार प्रार्थी हसन मोहम्मद खान पुत्र बसारत खान को तहसील कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2022/953 दिनांक 09.12.2022 के द्वारा तहसील कार्यालय से संबंधित बिन्दुओं के संबंध मे सूचना प्रेषित करवाई जा चुकी है तथा प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 3, 4, 10(ग) एवं 10 (घ) मे चाही गई सूचना का संबंध विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अलसीसर से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत तहसील कार्यालय क पत्रांक 954–955 दिनांक 09.12.2022 द्वारा अन्तरित कर दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर ने पत्रांक आरटीआई/2023/37 दिनांक 06.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी हसन मोहम्मद खान पुत्र बसारत खान निवासी चैनपुरा, पोस्ट लादूसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 09.11.2022 को प्राप्त हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र मे चाही गई वांछित सूचना का संबंध कार्यालय तहसीलदार मलसीसर से होने के कारण प्रार्थना पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत उनके कार्यालय के पत्रांक 34 दिनांक 10.11.2022 द्वारा अन्तरित कर दिया गया। कार्यालय तहसीलदार मलसीसर के पत्रांक 17 दिनांक 05.01.2023 के अनुसार प्रार्थी हसन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.11 16:07:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

(16)

मोहम्मद खान पुत्र बसारत खान को तहसील कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2022/953 दिनांक 09.12.2022 के द्वारा तहसील कार्यालय से संबंधित बिन्दुओं के संबंध मे सूचना प्रेषित करवाई जा चुकी है तथा प्रार्थना पत्र के बिन्दू संख्या 3, 4, 10(ग) एवं 10 (घ) मे चाही गई सूचना का संबंध विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अलसीसर से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत तहसील कार्यालय क पत्रांक 954-955 दिनांक 09.12.2022 द्वारा अन्तरित कर दी गई है। चूंकि अपीलार्थी को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अलसीसर से संबंधित बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध नही हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा साथ निर्देश दिये जाते है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अलसीसर अपीलार्थी को वांछित सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलेक्टर झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.11 16:07:58 IST
Reason: SelfAttested